राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

कमांकः प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 07.09.2020

आदेश

जैसा कि विदित है कि कोविड—19 के संक्रमण को रोकने हेतु वर्तमान में कोविड—19 से होने वाली मौतों या मृत्यु के पश्चात कोविड टेस्ट कराये जाने पर पॉजिटिव पाये गये व्यक्ति की देह को उनके परिजनों को नहीं दिया जाकर उसका अंतिम संस्कार मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नगर निगम/स्थानीय निकाय के कार्मिकों द्वारा सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए किया जा रहा है। मृतक का अंतिम संस्कार परिजनों के द्वारा एवं पैतृक स्थान पर ना किया जा सकना उनको इस दुखदायी घडी में अत्यन्त असहनीय एवं पीडादायक होता है।

विशेषज्ञों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कोविड—19 संक्रमण Droplets से फैलता है। यदि मृतक देह को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समुचित सावधानियां अपनाते हुए संभाला जाये तो मृतक देह से कोविड—19 संक्रमण फैलने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लेख है कि:-

"The main driver of transmission of COVID-19 is through droplets. There is unlikely to be an increased risk of COVID infection from a dead body to health workers of family members who follow standard precautions while handling body"

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक D.O. No. Z.28015/131/2020-EMR Dated 14-06-2020 के अनुसार निर्देशित किया गया है कि —

The issue raised regarding deaths of suspect covid patients and dead bodies not being handed over to the relatives pending confirmation of test report by the hospitals.

I would like to clarify that the dead bodies of such suspected COVID cases should be handed over to their relatives immediately and laboratory confirmation of COVID should not be awaited. These bodies can as a matter of abundant precaution be disposed as per the "Guidelines on dead body management" available on the website of Ministry of Health & Family Welfare dated 15-03-2020.

If such death cases test positive eventually, then the requisite action for contact listing, tracking etc, should be carried out subsequently.

विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त राय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देश, तथा कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये गये आदेश के कम में विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित प्रकिया व आमजन की भावनाओं के अनुरूप मृतक देह के सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हेतु निम्नानुसार दिशा—निर्देश जारी किये जाते है:—

- 1. प्रत्येक मृतक की कोविड—19 जांच करवाया जाना आवश्यक नहीं है। केवल उसी मृतक व्यक्ति की कोविड—19 जांच की जावे जिनकी मृत्यु ILI and SARI के लक्षण से हुई हो।
- 2. मृतक व्यक्ति की देह कोविड—19 की जांच रिपोर्ट का इन्तजार किये बिना परिजनों को हस्तान्तरित की जा सकेगी।
- 3. मृतक देह का शव परीक्षण न किया जावे। यदि किन्हीं विशेष कारणों से शव परीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देश दिनांक 15.03.2020 में अंकित सभी संभव उपाय अपनाते हुए ही शव परीक्षण किया जावे।
- 4. अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतक की देह को पूरी तरह निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रूफ जिपर बॉडी बैग में पैककर निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में संबंधित मृतक की जानकारी अंकित कर उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के सभी प्रोटोकॉल समझाकर तथा उनकी पालना किये जाने का शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) लेते हुए पाबन्द कर परिजनों को सुपुर्द की जावे। ऐसी स्थिति में मृतक के परिजन मृतक देह को अंतिम संस्कार हेतु अपने पैतृक स्थान के श्मशान / कब्रिस्तान पर ले जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। किन्तु संबंधित जिला प्रशासन को सूचित करने का दायित्व मृतक के परिजनों का होगा।
- 5. बॉडी बैग जिसमें मृतक देह पैक है, को 1 प्रतिशत हाईपोक्लोराईट से विसंक्रिमत किया जावे।
- 6. मृतक की देह को अंतिम संस्कार हेतु अस्पताल से सीधे ही श्मशान / कब्रिस्तान ले जाने का शपथ पत्र लिया जाकर परिजनों को पाबन्द किया जावे।
- 7. परिजनों द्वारा कोविड—19 से पोजेटिव शव को लेने की अनिच्छा जाहिर करने पर अस्पताल प्रशासन को इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर स्थानीय नगर निकाय द्वारा मृतक की धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप शव का निर्धारित प्रोटोकॉल के अन्तर्गत अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसे प्रकरणों के प्रबन्धन हेतु अस्पताल मे एक हैल्प डेस्क स्थापित की जावे, जिसमें अस्पताल प्रशासन व स्थानीय निकाय का एक—एक कर्मचारी नियुक्त किया जावे।
- अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतक के परिजन/रिश्तेदारों को हिन्दी व अंग्रेजी में पूर्व मुद्रित Do's and Don'ts की सूची निम्नानुसार उपलब्ध करवाई जायेंगी।
 - मृतक के बॉडी बैग को नहीं खोला जावे एवं मृतक देह को स्नान नहीं करवाया जावे।

- b- मृतक शरीर को छूना, लिपटना, गले लगना, चूमना इत्यादि न किया जावे।
- C- मृतक के रिश्तेदार / परिजन मृतक देह के अंतिम दर्शन सुरक्षित दूरी से मृतक के बॉडी बैग को खोले बिना कर सकेंगे।
- d- ऐसी धार्मिक रीति—रिवाज जिसमें मृतक देह को छूने की आवश्यकता नहीं हो यथा धार्मिक ग्रन्थ का पठन, पवित्र जल छिडका जाना आदि की अनुमित दी जा सकती है।
- e- अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 ही होगी, जिनके द्वारा कोविड—19 के बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय मास्क, दस्ताने, सुरक्षित शारीरिक दूरी, खांसने व छीकंने का शिष्टाचार, हाथों की सफाई आदि की पूर्ण पालना की जावे।
- f- मृतक के अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार कोविड—19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जैसे पीपीई किट, दस्ताने, मास्क, सामाजिक दूरी आदि का उपयोग करते हुए किया जायेगा। अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को पीपीई किट संबंधित अस्पताल प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- g- अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति अंतिम संस्कार के पश्चात इस्तेमाल किये गये पीपीई किट, दस्ताने, मास्क आदि का निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार निस्तारण कर स्नान करें एवं साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोंवे तथा हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें।
- 9. मृतक की देह को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन की अनुमित की आवश्यकता नहीं होगी। इस बाबत अस्पताल प्रशासन व मृतक के परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्थानीय निकाय को दिया जाना आवश्यक है।
- 10. मृतक का अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा।
- 11. यदि मृतक व्यक्ति के कोविड-19 की जांच पॉजिटिव पाई जाती है तो उसके संपर्क में आये व्यक्तियों की सूची तैयार कर कोविड-19 की स्क्रीनिंग इत्यादि करवाई जावे।
- 12. मृतक शरीर का परिवहन अस्पताल से श्मशान तक ले जाने में एम्बूलेंस/शव वाहन/मोक्ष वाहिनी का ही उपयोग किया जावे, निजी वाहन का नहीं।
- 13. यदि होम आइसोलेशन में किसी कोविड—19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजनों द्वारा संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्थानीय निकाय को सूचित किये जाने के उपरान्त मृतक का अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा।

- 14. निजी एम्बूलेंस संचालकों का Orientation जिला प्रशासन द्वारा किया जावे कि यदि मृतक देह को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समुचित सावधानियां अपनाते हुए संभाला जाये तो मृतक देह से कोविड—19 संक्रमण नहीं फैलता है तथा मृतक देह का बॉडी बैग भी विसंक्रमित किया गया है।
- 15. मृतक शरीर के परिवहन में उपयोग में लिये गये वाहन को उपयोग पश्चात एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित किया जावे। इस हेतु एक प्रतिशत हाईपोक्लोराईट नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया प्रोयेगा।

(अर्खिल अरोरा) प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2. विशिष्ठ सहायक, मां. चिकित्सा मंत्री महोदय
- 3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
- 4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
- 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग।
- निजी सचिव, शांसन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
- 8. समस्त जिला कलक्टर, राज.
- 9. समस्त पुलिस अधीक्षक, राज.
- 10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
- 11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
- 12. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर
- 13. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
- 14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 15. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
- 16. समस्त निजी चिकित्सालय, राज.
- 17. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
- 18. निजी / रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) शासन उप सचिव

COVID- 19 SUSPECTED/POSITIVE DEAD BODY INFORMATION

1	CR NO.	
2	OPD/ IPD With MRD no. & Date of Admission	,
3	Ward/ ICU/ special ward Name	
4	Patient's Name	
5	Age & Gender	
6	Father's/ Husband's Name	
7	Complete address	
8	Contact number of relative	
9	Contact History (Yes/ No)	
10	Date & Time of death	
11	Date of onset of symptoms	
12	Duration (in days) between date of admission and death	
13	Duration (In days) between onset of illness and death	
14	Symptoms	
15	Immediate cause of death	
16	Co-morbidity	
17	Date of cov1D-19 Positive	
18	NO. OF Sample Collected	
19	COVID bill no. of awaited report	
20	MLC/Non MLC Case	
21	In case of unknown patient place where from brought	

कोविड-19 से संबंधित शवों से संक्रमण से रोकने बाबत अंतिम संस्कार/सुपुर्देखाक हेतु परिजनों एवं कर्मियों के लिए दिशा-निर्देश

- 1- मृतक के बॉडी बैग को नहीं खोला जावे एवं मृतक देह को स्नान नहीं करवाया जावे।
- 2- मृतक शरीर को छूना, लिपटना, गले लगना, चूमना इत्यादि न किया जावे।
- 3- मृतक के रिश्तेदार / परिजन मृतक देह के अंतिम दर्शन सुरक्षित दूरी से मृतक के बॉडी बैग को खोले बिना कर सकेंगे।
- 4- ऐसी धार्मिक रीति—रिवाज जिसमें मृतक देह को छूने की आवश्यकता नहीं हो यथा धार्मिक ग्रन्थ का पठन, पवित्र जल छिडका जाना आदि की अनुमित दी जा सकती है।
- 5- अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 ही होगी, जिनके द्वारा कोविड—19 के बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय मास्क, दस्ताने, सुरक्षित शारीरिक दूरी, खांसने व छीकंने का शिष्टाचार, हाथों की सफाई आदि की पूर्ण पालना की जावे।
- 6- मृतक के अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार कोविड—19 से बचाव के समस्त सुरक्षात्मक उपाय जैसे पीपीई किट, दस्ताने, मास्क, सामाजिक दूरी आदि का उपयोग करते हुए किया जायेगा।
- 7- अंतिम संस्कार में शामिल व्यक्ति अंतिम संस्कार के पश्चात इस्तेमाल किये गये पीपीई किट, दस्ताने, मास्क आदि का निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार निस्तारण कर स्नान करें एवं साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोंवे तथा हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें।

शपथ पत्र

肖 및	,त्र/पुत्री/पत्नी/पिता		
निवासी			
शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैंने मृतक व			
पिता / पति का नाम	निवासी		
एम. आर. डी. नम्बरसी. आर	. नम्बर		
दिनांक वार्ड	यूनिट		
मोबाईल नम्बर मृत्यु की दिनांक व समय व वार्ड			
के शव को अ	ान्तिम संस्कार/सुपुर्देखाक हेतु प्राप्त कर		
लिया है।			
मुझे कोविड—19 से संबंधित शव को अस	पताल से श्मशान/कब्रिस्तान ले जाने के		
सभी व अंतिम संस्कार के समय बरती जाने वाली सावधानियां/दिशा–निर्देश समझा दिये			
गये है तथा मैं शपथ लेता हूं कि मैं एवं मेरे परिजन इनकी पालना पूर्ण रूपेण करेंगे। मुझे			
यह अवगत करवा दिया गया है कि शव की कोरोना रिपोर्ट पोजिटिव भी आ सकती है।			
हस्ताक्षर	दिनांक		
मृतक से संबंध			
मोबाईल नम्बर			



Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Directorate General of Health Services
(EMR Division)

COVID-19: GUIDELINES ON DEAD BODY MANAGEMENT

15.03.2020

Scope of the document

- There are currently over 100 laboratory confirmed cases and two deaths due to Novel Coronavirus disease (COVID-19) in India. Being a new disease there is knowledge gap on how to dispose of dead body of a suspect or confirmed case of COVID-19.
- This guideline is based on the current epidemiological knowledge about the COVID-19. India is currently having travel related cases and few cases of local transmission. At this stage, all suspect/ confirmed cases will be isolated in a health care facility. Hence the document is limited in scope to hospital deaths.

2. Key Facts

- The main driver of transmission of COVID-19 is through droplets. There is unlikely to be an increased risk of COVID infection from a dead body to health workers or family members who follow standard precautions while handling body.
- Only the lungs of dead COVID patients, if handled during an autopsy, can be infectious.

3. Standard Precautions to be followed by health care workers while handling dead bodies of COVID.

Standard infection prevention control practices should be followed at all times. These include:

- 1. Hand hygiene.
- 2. Use of personal protective equipment (e.g., water resistant apron, gloves, masks, eyewear).
- 3. Safe handling of sharps.

- 4. Disinfect bag housing dead body; instruments and devices used on the patient.
- 5. Disinfect linen. Clean and disinfect environmental surfaces.

4. Training in infection and prevention control practices

All staff identified to handle dead bodies in the isolation area, mortuary, ambulance and those workers in the crematorium / burial ground should be trained in the infection prevention control practices.

5. Removal of the body from the isolation room or area

- The health worker attending to the dead body should perform hand hygiene, ensure proper use of PPE (water resistant apron, goggles, N95 mask, gloves).
- All tubes, drains and catheters on the dead body should be removed.
- Any puncture holes or wounds (resulting from removal of catheter, drains, tubes, or otherwise) should be disinfected with 1% hypochlorite and dressed with impermeable material.
- Apply caution while handling sharps such as intravenous catheters and other sharp devices. They should be disposed into a sharps container.
- Plug Oral, nasal orifices of the dead body to prevent leakage of body fluids.
- If the family of the patient wishes to view the body at the time of removal from the isolation room or area, they may be allowed to do so with the application of Standard Precautions.
- Place the dead body in leak-proof plastic body bag. The exterior of the body bag can be decontaminated with 1% hypochlorite. The body bagcan be wrapped with a mortuary sheet or sheet provided by the family members.

Page | 3

- The body will be either handed over to the relatives or taken to mortuary.
- All used/ soiled linen should be handled with standard precautions, put in biohazard bag and the outer surface of the bag disinfected with hypochlorite solution.
- Used equipment should be autoclaved or decontaminated with disinfectant solutions in accordance with established infection prevention control practices.
- All medical waste must be handled and disposed of in accordance with Biomedical waste management rules.
- The health staff who handled the body will remove personal protective equipment and will perform hand hygiene.
- Provide counseling to the family members and respect their sentiments.

6. Environmental cleaning and disinfection

All surfaces of the isolation area (floors, bed, railings, side tables, IV stand, etc.) should be wiped with 1% Sodium Hypochlorite solution; allow a contact time of 30 minutes, and then allowed to air dry.

7. Handling of dead body in Mortuary

- Mortuary staff handling COVID dead body should observe standard precautions.
- Dead bodies should be stored in cold chambers maintained at approximately 4°C.
- The mortuary must be kept clean. Environmental surfaces, instruments and transport trolleys should be properly disinfected with 1% Hypochlorite solution.
- After removing the body, the chamber door, handles and floor should be cleaned with sodium hypochlorite 1% solution.

8. Embalming

Embalming of dead body should not be allowed.

9. Autopsies on COVID-19 dead bodies

Autopsies should be avoided. If autopsy is to be performed for special reasons, the following infection prevention control practices should be adopted:

- The Team should be well trained in infection prevention control practices.
- The number of forensic experts and support staff in the autopsy room should be limited.
- The Team should use full complement of PPE (coveralls, head cover, shoe cover, N 95 mask, goggles / face shield).
- · Round ended scissors should be used
- PM40 or any other heavy duty blades with blunted points to be used to reduce prick injuries
- Only one body cavity at a time should be dissected
- Unfixed organs must be held firm on the table and sliced with a sponge care should be taken to protect the hand
- Negative pressure to be maintained in mortuary. An oscillator saw with suction extraction of the bone aerosol into a removable chamber should be used for sawing skull, otherwise a hand saw with a chain-mail glove may be used
- Needles should not be re-sheathed after fluid sampling needles and syringes should be placed in a sharps bucket.
- Reduce aerosol generation during autopsy using appropriate techniques especially while handling lung tissue.

- After the procedure, body should be disinfected with 1% Sodium Hypochlorite and placed in a body bag, the exterior of which will again be decontaminated with 1% Sodium Hypochlorite solution.
- The body thereafter can be handed over to the relatives.
- Autopsy table to be disinfected as per standard protocol.

10. Transportation

- The body, secured in a body bag, exterior of which is decontaminated poses
 no additional risk to the staff transporting the dead body.
- The personnel handling the body may follow standard precautions (surgical mask, gloves).
- The vehicle, after the transfer of the body to cremation/ burial staff, will be decontaminated with 1% Sodium Hypochlorite.

11. At the crematorium/Burial Ground

- The Crematorium/ burial Ground staff should be sensitized that COVID 19 does not pose additional risk.
- The staff will practice standard precautions of hand hygiene, use of masks and gloves.
- Viewing of the dead body by unzipping the face end of the body bag (by the staff using standard precautions) may be allowed, for the relatives to see the body for one last time.
- Religious rituals such as reading from religious scripts, sprinkling holy water and any other last rites that does not require touching of the body can be allowed.
- Bathing, kissing, hugging, etc. of the dead body should not be allowed.

- The funeral/ burial staff and family members should perform hand hygiene after cremation/ burial.
- The ash does not pose any risk and can be collected to perform the last rites.
- Large gathering at the crematorium/ burial ground should be avoided as a social distancing measure as it is possible that close family contacts may be symptomatic and/ or shedding the virus.